

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER 2025/107

of सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट at कोलकाता
 Kind of the Case u/s - 212 R.P. 1955
 Number of Case A/38/1 Year 2025
मूलचन्द शर्मा Versus रविन्द्र सिंह शर्मा व शोध

Order with initials of Presiding Officer

Brief note of compliance of the Order

की पालना हेतु आदेशों जिनके
 28/10/25 को पत्र है।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 (कोलकाता) कोलकाता

24/09/2025

शर्मा मध्य अधिवक्ता द्वारा
 सस्तुत शर्मा पत्र बाबत मिलल तलबी
 हेतु किया गया। शा. कि. ए। उक्त शर्मा
 पत्र में शर्मा द्वारा यह कथन किये गये
 कि "शर्मा एवं अप्रार्थीगण के बीच लोकहित
 की भावना से राजीनामा हो चुका है, अतः
 शर्मा पत्र पेश कर विनयेन है कि पत्रावली
 आज तलब की जाकर जोरसे विड्रोल करवाने
 का आदेश प्रदान कराने।" उक्त शर्मा
 पत्र स्वीकार किये जाने से पत्रावली आज
 पेश हुई।

Mool Chandra
 Identi...
 24/09/25

शर्मा मध्य अधिवक्ता द्वारा शर्मा
 पत्र बाबत "पत्रावली विड्रोल करने हेतु"
 सस्तुत किया गया। शा. कि. ए। शर्मा मध्य
 अधिवक्ता द्वारा उक्त शा. प. में यह कथन
 किये गये कि "शर्मा एवं अप्रार्थीगणों के
 मध्य लोकहित की भावना से राजीनामा
 हो चुका है। इसलिए शर्मा उक्त वाद को
 आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः शर्मा



Order Sheet (Subsequent)

2025/107
CNR NUMBER

~~कानून व्यवसायिक कलेक्टर एवं कार्यालय प्रमुख, जोधपुर~~
(जोधपुर)

Number of Case A/38/Year 2025

मूल नं. भा.टी. 415-212 R.T.A. 1955 Versus रविन्द्र सिंह भा.टी. 415-212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of the
	<p>पत्र पेश कर जितेदन है कि प्राची का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर जरूरी विज्ञापन करवाने का आदेश प्रदान करने। प्राची के आदेशिका पर अंकन कर हस्ताक्षर किम्वं जिसकी पहचान अधिवक्ता द्वारा की गई।</p> <p style="text-align: right;">अतः प्राची का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, र.क. अधिन. 1955 जरूरी विज्ञापन खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदम फेसल शुमार दीप्तर नंबर से कत दीकर वाहित दस्तर हो।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">   </div>	

